भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2722

04/08/2026 को उत्तर के लिए

एमएससी एल्सा 3

2722. श्री हैबी ईडन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमएससी एल्सा 3 की घटना पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार केरल तट के पास एमएससी एल्सा 3 के डूबने के बाद मछली पकड़ने के कार्यों में उत्पन्न बाधा और मछुआरों के लिए उत्पन्न आर्थिक संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्य समुद्री प्रजातियों की गुणवत्ता और सुरक्षा तथा पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों की पारिस्थितिक स्थिरता पर इन घटनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और समुद्री विशेषज्ञों के साथ समन्वय कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने प्लास्टिक नर्डल संदूषण, खतरनाक कार्गो रिसाव, या पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण के मछली के स्टॉक और प्रजनन क्षेत्रों पर प्रभाव का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन किया है या उसका समर्थन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) 643 कंटेनर से लदा मालवाहक जहाज MSC ELSA-3, 24-25 मई 2025 को केरल के कोच्चि से लगभग 39 समुद्री मील दक्षिण में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। केरल सरकार ने सूचित किया है कि इस

घटना के कारण लगे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप 25 मई से 1 जून 2025 के बीच मछुआरे, विशेष रूप से तिरुवनंतपुरम, कोल्ललम, अलाप्पुझा और एर्नाकुलम जिलों के मछुआरे प्रभावित हुए थे।

(ख) से (घ) केरल सरकार ने आगे सूचित किया है कि प्रभावित मछुआरों को अंतरिम राहत प्रदान की गई है, जिसमें SDRF से 1,05,518 समुद्री मछुआरा परिवारों (जिसमें 78,498 समुद्री मछुआरा परिवार और 24,020 संबद्ध मछुआरा परिवार शामिल हैं) को 1,000 रुपए प्रति परिवार की दर से वित्तीय सहायता के साथ-साथ आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति परिवार 6 किलोग्राम चावल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 25 मई 2025 को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने परामर्श जारी कर मछुआरों को डूबे हुए जहाज के 20 समुद्री मील के दायरे में न जाने के निर्देश दिए थे।

केरल सरकार ने सूचित किया कि संभावित पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन करने और मात्स्यिकी संसाधनों तथा मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने हेतु 28 मई 2025 को ICAR-केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (CIFT), ICAR-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CMFRI), केरल मात्स्यिकी और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (KUFOS) के वैज्ञानिकों और मछुआरों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद, 19 जून 2025 को राज्य सरकार ने मानक प्रोटोकॉल के अनुसार जल और मत्स्य के नमूने लेने व उनके परीक्षण के लिए KUFOS, ICAR-CMFRI, ICAR-CIFT, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खाद्य सुरक्षा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और तटीय पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया। परीक्षण के परिणामों से संकेत मिला कि मत्स्य के नमूने अच्छी स्थिति में थे, उनमें कोई आपत्तिजनक गंध या स्वाद नहीं था, और पानी के मानक (पीएच, लवणता, चालकता) सामान्य सीमा के भीतर रहे। प्रारंभिक विश्लेषणों से तेल का कोई अंश और खतरनाक रसायनों का कोई प्रमाण नहीं मिला, तथा यह पुष्टि हुई कि एर्नाकुलम, अलाप्पुझा, कोल्लम और अन्य प्रभावित तटों से लिए गए मत्स्य के नमूने उपभोग के लिए सुरक्षित थे। कोई दृश्यमान तेल रिसाव या टार बॉल नहीं पाए गए; हालाँकि, तटरेखाओं, विशेष रूप से कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक नर्डल्स, कपास की गांठें और कंटेनरों का मलबा देखा गया। निगरानी अवधि के दौरान तटवर्ती पानी में बड़े पैमाने पर रासायनिक संदूषण का कोई तत्काल साक्ष्य नहीं मिला।

इसके अलावा, समुद्री पारि-प्रणाली के संरक्षण और बहाली के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति के हिस्से के रूप में, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल तट पर मत्स्य पर्यावासों के कायाकल्प और मत्स्य भंडारों की बहाली के लिए कृत्रिम रीफ्स स्थापित करने हेतु PMMSY के तहत 13.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
